न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **133/17 (वाद)**

1. श्री जमनागिरी पिता किशनगिरी गुसाई निवासी बडियार तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का बडियार, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जसवंत राय चौहान, अधिवक्ता वादी।

2. राजपेरोकार मावली प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 09.04.2019

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 241 किता 1 रकबा 14 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के नाम 1/2 हिस्सा एवं खातेदार लक्ष्मणगिरी पिता किशनगिरी गुसाई के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार संयुक्तरूप से अंकित है।
2. खातेदार लक्ष्मणगिरी एवं मै वादी दोनो सगे भाई है तथा खातेदार लक्ष्मणगिरी जो अक्सर बीमार ही रहते थे जिस वजह से वह मुझ वादी के साथ ही निवास करते थे उनकी देखभाली और ईलाज में भी मुझ वादी ने ही रूपया खर्च किया जिससे प्रसन्न होकर खातेदार लक्ष्मणगिरी ने वादग्रस्त भूमि को मुझ वादी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 24.11.2001 को गवाहन चुन्नीलाल जाट एवं बाबुलाल मेघवाल एवं परिवारजन की मौजूदगी में लिखा अपने हस्ताक्षर कर गवाहान की साखे लगवा दी। खातेदार लक्ष्मणगिरी का देहावसान दिनांक 11.10.2012 को हो गया है तथा मैं वादी खातेदार लक्ष्मणगिरी के हिस्से उक्त वर्णित कृषि भूमि पर लक्ष्मगणगिरी के जीवनकाल से काबिज हो उपयोग–उपभोग करता आ रहा हूॅ। चूंकि 1/2 हिस्सा मेरा पहले से ही भूमि में खातेदारी हक से अंकित है जिससे कुलिया जमीन पर मुझ वादी का ही कब्जा काश्त स्वतन्त्र रूप से चला आ रहा है । जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है।
3. स्व. लक्ष्मणगिरी के देहावसान बाद वसीयत लेकर खाते करवाने पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने उक्त भूमि मेरे नाम अंकन करने से मना कर दिया व

कोर्ट से आदेश लाने की बात कही इसलिये में वादी भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, क्योंकि मुझ वादी द्वारा ही लक्ष्मणगिरी की सेवा चाकरी की गई है और मेरी सोवा चाकरी से प्रसन्न होकर लक्ष्मगणगिरी ने अपने जीवनकाल में उनकी समस्त चल अचल सम्पति मेरे नाम पर वसीयत की और वसीयत अनुसार उकत भूमि का में वादी उपयोग उपभोग कर रहा हूँ।अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार कब्जा कुछ भी नहीं रहा है।

4. मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 23.05.2017 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी हल्का को भूमि वसीयत अनुसार मेरे नाम पर दर्ज करने हेतु कहा तो पटवारी हल्का ने भूमि वसीयत अनुसार नाम पर दर्ज करने से मना कर कोर्ट में दावा करने हेतु कहा तब उत्पन्न हुआ हो जारी है।
5. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमाई जावे की वादग्रस्त आराजियात में खातेदार लक्ष्मणगिरी पिता किशनगिरी गुसाई के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में मुझ वादी का नाम अंकन कराया जावे एवं खातेदार लक्ष्मगणगिरी पिता किशनगिरी गुसाई का नाम हटाया जावे।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी राजपैरोकार द्वारा प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।
7. साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री जमनागिरी, पीडब्ल्यू 2– श्री चुन्नीलाल, पीडब्ल्यू–3 श्री बाबुलाल, पीडब्ल्यू–4 श्री किशनगिरी पिता उदयगिरी, पीडब्ल्यू–5 श्री किशनगिरी पिता गणेशगिरी का शपथ पत्र पेश किया गया। राजपेरोकार द्वारा जिरह एवं साक्ष्य पेश नहीं करना चहा।
8. वादी द्वारा अपने वाद के सर्मथन में दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श 1 एवं वीसयतनामा प्रदर्श 2 किये।
9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा अपनी बहस में जवाब

में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में लक्ष्मणगिरी एवं वादी जमनागिरी के नाम सामलाती दर्ज है। जिसका दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श 1 है। खातेदार श्री लक्ष्मणगिरी ने अपने जीवनकाल में 10 रूपये के स्टाम्प पर एक वसीयतनामा प्रदर्श 2 दिनांक 24.11.2001 को लिख कर अपने हस्ताक्षकर किये जिसमे साक्ष्य बाबुलाल एवं चुन्नीलाल ने दी है। लक्ष्मणगिरी की मृत्यु दिनांक 11.10.2012 को होना बताया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। लक्ष्मणगिरी व वादी दोनो सगेभाई है तथा लक्ष्मणगिरी की मृत्यु के बाद से ही भूमि पर वादी काबिज है। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह प्रस्तुत किये जिसमें सभी गवाहों ने वसीयत को स्वीकार कर सम्पूर्ण भूमि पर वादी का कब्जा होने का कथन किया है। वसीयत में गवाह श्री चुन्नीलाल एवं बाबुलाल के भी इस वाद में गवाह शपथ पत्र साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 2 एवं पीडब्ल्यू 3 के प्रस्तुत किये जिसमें भी दोनो ही गवाहो ने लक्ष्मगणगिरी द्वारा वादी की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर वसीयत वादी के पक्ष में करने का कथन किया है। अतः प्रकरण में वसीयतनामा के आधार पर वादी भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 241 किता 1 रकबा 14 बीघा भूमि में खातेदार लक्ष्मणगिरी के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री जमनागिरी पिता किशनगिरी गुसाई निवासी बडियार तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का बडियार, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 133/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 241 किता 1 रकबा 14 बीघा भूमि में खातेदार लक्ष्मणगिरी के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.04.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली